सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

चैत्र 04, मंगलवार, *शाके* 1947- मार्च 25, 2025

Chaitra 04, Tuesday, Saka 1947- March 25, 2025

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

सार्वजनिक निमार्ण विभाग(पथ) राजस्थान,जयपुर

(जिला-कोटा)

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 06, 2025

(अन्तर्गतभूमि अर्जनए पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार)

अधिनियम 2013 की धारा 4(1))

Rajkaj 13976288 :-राजस्थान के राज्यपाल द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4(1) के तहत राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम 2016 के प्रावधानुसार एवं राजस्थान सरकार कोटा जिला में रामगंजमण्डी तहसील में रामगंजमण्डी-झालावाड़ रेल्वे लाईन पर सुकेत पीपलिया रोड़ कि.मी. 8/0 एम.डी.आर.-109 पर स्थित एल.सी. संख्या LC-3-A/2-E पर आरओबी (रेल उपरिगामी सेतु) का निर्माण का कार्य किया जाना है, जिसकी स्वीकृति सी.आर.एफ. बजट मद के तहत श्रीमान अतिरिक्त सचिव (पथ) सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांकः- F7(434)/Sec-II/CRF /2020-21-03535 Part File (3)/D-46 दिनांक 13.07.2024 द्वारा राशि रूपये 46.54 करोड की प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति जारी की गई है। जिसमें रामगंजमण्डी में आरओबी के निर्माण के लिए भूमि अवाप्ति की जानी है। जिनका का विवरण निम्नानुसार है।

क्र.सं.	राज्य	जिला	तहसील	गाँव
1	राजस्थान	कोटा	रामगंजमण्डी	जुल्मी
2	राजस्थान	कोटा	रामगंजमण्डी	अमृतखेडी
3	राजस्थान	कोटा	रामगंजमण्डी	लखारिया

परियोजना हेतु नियमनुसार सामाजिक समाघात निर्धारित हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कोटा जिलामें आरओबी के लिये भूमि अवाप्ति कस्बा रामगंजमण्डी के ग्राम जुल्मी, अमृतखेडी, लखारिया का चयन किया गया है।

उपरोक्त चयनित संस्था द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित गांवो में सामाजिक समाघात निर्धारण राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और निम्नानुसार होगी।

1. संस्था द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित गांवो भू-अर्जन से प्रभावित व्यक्तियो का विवरण तैयार कर सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रारूप रिपोर्ट तैयार की जायेगी।

2. प्रारूप रिपोर्ट की प्रति प्रभावित गांवो में समुचित सभा तत्पश्चात प्रभावित गांवो में प्रर्याप्त प्रचार प्रसार के उपरान्त जन सुनवाई की जावेगी,जिसका कार्यवाही विवरण समुचित रूप से रिकार्ड किया जायेगा।
3. जन सुनवाई के दौरान आये सुझावों/आपत्तियों के समुचित समाधन को शामिल कर सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाधन प्रबन्ध योजना तैयार की जावेगी।
4. सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया प्रभावित गांवो में सम्बन्धित ग्राम पंचायत,नगर परिषद, नगर पालिका के परामर्श में की जावेगी।
5. सामाजिक समाघात मूल्यांकन के दौरान किसी भी प्रकार के बल प्रयोग या धमकी का प्रयत्न इस कवायद को अकृत और शून्य बना देगा।
6. सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया को इस अधिसूचना की तिथि से अधिकतम 6 माह अवधि से पूर्व सम्पूर्ण कराया जाना आवश्यक है।

सम्पर्क सूत्रः-

सामाजिक समाघात निर्धारण ईकाई

आर.के.मीणा

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता

सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड रामगंजमण्डी जिला कोटा

जेएसवी टैक्नोक्राफ्ट एलएलपी, जयपुर

सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी

विनोद बेनीवाल

सामाजिक विशेषज्ञ

आर.के.लूथरा,
संयुक्त सचिव (पथ),
सार्वजनिक निर्माण, राजस्थान,
जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।